RAJKIYA ENGINEERING COLLEGE, KANNAUJ
UTTAR PRADESH
(A GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE)

संख्या:349/नि0का0/आर0ई0सी0/कन्नौज/2017 दिनांक: 13 दिसम्बर, 2019

सेवा में

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जनसूचना अधिकारी, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 शासन के पत्रांक आरटीआई-4187/16-1-2019-10(18)/2016टीसी-1 दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 एवं आप द्वारा शासन को प्रेषित पत्र दिनांक 30-09-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से संस्थान में शैक्षिक पदों हेतु जारी विज्ञापन संख्या: 01/Advt./RECK/2017 एवं चयन प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित सूचनायें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप किसी भी कार्यदिवस में संस्थान में उपस्थित होकर कर संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन संख्या: 01/Advt./RECK/2017 एवं चयन प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित सूचना देख अथवा निर्धारित शूल्क जमा कर प्राप्त कर सकते है।

भवदीय,

(डा0 अरूण कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 4187/16–1–2019–10(18)/2016टीसी–1
लखनऊ: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2019

<u>शुद्धि पत्र</u>

1. जनसूचना अधिकारी/कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ
2. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बॉदा/ आजमगढ/अम्बेडकरनगर/मैनपुरी/कन्नौज/सोनभद्र/बिजनौर ।
3. जनसूचना अधिकारी, कार्यालय उ0प्र0वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर।
4. जनसूचना अधिकारी, कार्यालय कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
5. जनसूचना अधिकारी, कार्यालय बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, झॉसी।

कृपया अधोहस्ताक्षरी जनसूचना अधिकारी के पत्र संख्या–आरटीआई–41/सोलह–1–2019–10(18) /2016टी0सी0–1, दिनांक 09.10.201 रें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदक श्री के आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2017 के संदर्भ में यथोचित सूचना देने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में सूच्य है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 09.10.2019 में त्रुटिवश आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2017 अंकित हो गया है, जबकि उक्त आवेदन पत्र दिनांक 30.09. 2019 है, जिसे उक्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित भी किया गया है। अतः आवेदक श्री प्रवेश कुमार, अलीगढ़ के आवेदन पत्र दिनांक 07.06.2017 के स्थान पर आवेदक श्री प्रवेश कुमार, अलीगढ़ के आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2019 पढ़ा जायं (छायाप्रति संलग्न)। इसी प्रकार उपरोक्त पत्र दिनांक 09.10.2019 के पृष्ठांकन में रू0 10.00 के नोट संख्या–जे2डब्लू 795680 के स्थान पर 12डब्लू 795680 त्रुटिवश अंकित हो गया है, जिसे जे2डब्लू 795680 पढ़ा जायं।

803/RECK
20/11/2019

3. उक्त पत्र दिनांक 09.10.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायं।

5. कृपया तदनुसार वॉछित सूचना आवेदक को नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
<u>संलग्नक :–यथोपरि।</u>

AR

<u>संख्या– तद्दिनांक।</u>
प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आ

1. श्री को उनके पत्र दिनांक 17.10.2019 के संदर्भ में अपेक्षित सूचना सबाधत जन सूचना अधिकारियों से प्राप्त करने हेतु।

2. उच्च शिक्षा(लेखा) अनुभाग, उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि अधोहस्ताक्षरी के उपरांक्त पत्र दिनांक 09.10.2019 में अंकित रूपये 10.00 के नोट संख्या–12डब्लू 795680 के स्थान पर संख्या–जे2डब्लू 795680 (जिसे पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है) पढते हुये इसे सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कराने का कष्ट करें।

आर० टी० आई०
संख्या 41 / सोला 5-प्रा०शि०-1-2019

सेवा में,

दिनांक :- 30.09.2019

जन सूचना अधिकारी

प्राविधिक शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश

फा० 10(18)/2016 शि०
प० -15

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

प्रश्न 1:- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर ,एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर की सभी वर्गों की आयु सीमा क्या है नियम की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं ?

प्रश्न 2:- सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की सन 2017 में हुई भर्तियों के साक्षात्कार के रिजल्ट, लिखित परीक्षा के रिजल्ट तथा स्क्रीनिंग रिपोर्ट की कॉलेज वार् सूची उपलब्ध कराएं ?

प्रश्न 3:- सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों की भर्तियों को जिन बी0ओ0जी0 में पास कराया गया, सभी कॉलेजों की बी0ओ0 जी0 के कार्यवृत्त की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं ?

प्रश्न 4:- सभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के साक्षात्कार पैनल तथा पैनल को दिए गए अनुमोदन की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं ?

प्रश्न 5:- यदि कोई सूचना आपके कार्यालय में उपलब्ध ना हो तो धारा 6(3) के तहत संबंधित कार्यालय, व्यक्ति से सूचना लेकर सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं ?